रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3404] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 14, 2017/अग्रहायण 23, 1939
No. 3404] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 14, 2017/AGRAHAYANA 23, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2017

का.आ. 3880(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

और, कस्तूरी मृग और अन्य दुर्लभ, लुप्तप्राय और महत्वपूर्ण जैविक विविधता की सुरक्षा और संरक्षण के मुख्य उद्देश्य से उत्तर प्रदेश (अब उत्तराखण्ड) के चमोली और रूद्रप्रयाग जिले में फैला 975.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सरकारी आदेश सं. 14/14-3, दिनांक 21 जनवरी, 1972 के द्वारा केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य घोषित किया गया था;

और, केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य के वनों के अंतर्गत भारत के चैंपियन और सेठ वन प्रकार के अनुसार, 9 उप-उष्णकटिबंधीय देवदार वन, 12 हिमालयी आर्द्र मध्यम वन, 14 उप अल्पाइन वन, 15 आर्द्र अल्पाइन झाड़ी वन प्रकार शामिल हैं और यहां प्रचुर वनस्पति और जीवजंतु विविधता विद्यमान है। यह अलकनंदा, मंदाकिनी, काली मधुगंगा, बिआरा,

बालासुति और मेना नदियों ऊपरी गंगा तथा नदी घाटी जैसी महत्वपूर्ण नदियों का आवाह क्षेत्र है, और इस प्रकार यह इस क्षेत्र के जल-स्तर के पुन: भरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है;

और, अभयारण्य की जैविक संपदा की बेहतर सुरक्षा और संरक्षण के लिए अभयारण्य के निकटतम क्षेत्र में इस तरह के मानवीय क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है;

और, केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य के क्षेत्र में केदारनाथ, मदमाहेश्वर, तुंगनाथ, रूद्रनाथ, कालीमठ, अनसूया देवी और क्षेत्रीय देवताओं के मंदिर होने के कारण बड़ी संख्या में धार्मिक लोग इस अभयारण्य को देखने आते हैं और इससे अभयारण्य की सामान्य पारिस्थितिकी गतिशीलता पर प्रभाव डालने वाले मानव जनित क्रियाकलापों में वृद्धि होती हैँ, अत: पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय के दृष्टिकोण से केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के आस पास के क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करना आवश्यक है;

अतः अब, इसमें पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय, जीवजंतु, वनस्पति, भौगोलिक एवं प्राणी संघ या महत्त्व के कारण उसमें वन्यजीवों या उसके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अनुसार **केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य** के क्षेत्र, जिसकी अवस्थिति और सीमा इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, को **"पारिस्थितिकी संवेदी जोन"** (जिसे इसमें इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**--(क) केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य अक्षांश 30°25' उ से 30°45 उ और देशांतर 78°54' पू से 79°27' पू के बीच फैला हुआ है। प्रशासनिक दृष्टि से यह उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग और चमौली जिलों में स्थित है। यह उत्तर में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम में टिहरी वन संभाग, दक्षिण में रूद्रप्रयाग वन संभाग और पूर्व में नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य (गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के समीपवर्ती उत्तरी भाग) से 11.60 किलोमीटर तक है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का परिधीय क्षेत्र 451.15 वर्ग किलोमीटर है।

(ग) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र, सीमा वर्णन और निर्देशांक **उपाबंध I** के रुप में संलग्न है ।

(घ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रुप में संलग्न है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1)राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

i. पर्यावरण;

ii. वन और वन्यजीव;

iii. कृषि;

iv. राजस्व;

v. शहरी विकास;

vi. पर्यटन;

vii. ग्रामीण विकास;

viii. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

ix. नगरपालिका;

x. पंचायती राज;

xi. लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों की बेहतरी की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल बन सकें।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकारों और किस्मों, आदिवासी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महा-योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना मॉनीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी जिसमें इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार उसके कृत्यों के निर्वहन का विवरण होगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय परिसरों संबंधी औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं जिसमें ग्रह वास सम्मिलित है;और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 में वर्णित क्रियाकलाप:

(ग) परंतु यह भी कि राज्य सरकार के अन्य प्रासंगिक नियमों, विनियमों एवं क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2)

भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/ जलमार्गों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, नए होटलों और रिजॉटों की स्थापना, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पर्यटन महायोजना के अनुसार, पूर्व परिभाषित एवं अभीहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया होटल/रिजोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण की उपयुक्त योजना बनायी जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, तथा ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा उन्हें आंचलिक महायोजना में शामिल किया जाएगा।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। गैर-जैविक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा ।

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय- समय पर संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात: -** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी आदि के उपयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो। पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-केवल अप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी ।

(ख) जिन ढलानों विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाना शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं. 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बडी जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	ठोस अपशिष्ट के निपटान- स्थल और ठोस एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए साझा भष्मीकरण की सुविधा ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट के किसी नए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारत/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भष्मीकरण की सुविधा का संस्थापन प्रतिषिद्ध होगा ।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
8.	ईंट भट्ठों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नही होंगे। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी जैसे कि :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग, सुविधा भण्डार और ग्रहवास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं हैं; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढावा दिए गए क्रियाकलाप। परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौंजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण ।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि को उडाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
बढ़ावा दिए जाने वाले क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

38.	अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को शामिल करके एक मानीटरी समिति गठित करती है: --

(क) संबंधित जिलों का जिला मजिस्ट्रेट (रुद्रप्रयाग या चमोली, यथास्थति) -अध्यक्ष;

(ख) उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि -सदस्य;

(ग) वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का उत्तराखंड राज्य द्वारा नामित एक प्रतिनिधि -सदस्य;

(घ) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य;

(ङ) एक जैव विविधता विशेषज्ञ -सदस्य;

(च) उत्तराखंड राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिक का एक विशेषज्ञ –सदस्य;

(छ) वन्यजीव अभयारण्य के रेंज अधिकारी -सदस्य;

(ज) वन्यजीव अभयारण्य के वन्यजीव वार्डन -सदस्य;

(झ) उप वन संरक्षक (केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के प्रभारी अधिकारी) -सदस्य सचिव।

6.विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुन: गठन किये जाने तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट स्थल दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संविक्षा करेगी भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते है। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं है जों इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हें केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

(4) वें क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन नहीं आते हों, परंतु जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा -4 में दी गई सारणी में यथा विनिदिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों धारियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध III** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले किसी आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/06/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध ।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के केदारनाथ कस्तूरी मृग का मानचित्र और भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिंदुओं की सीमा

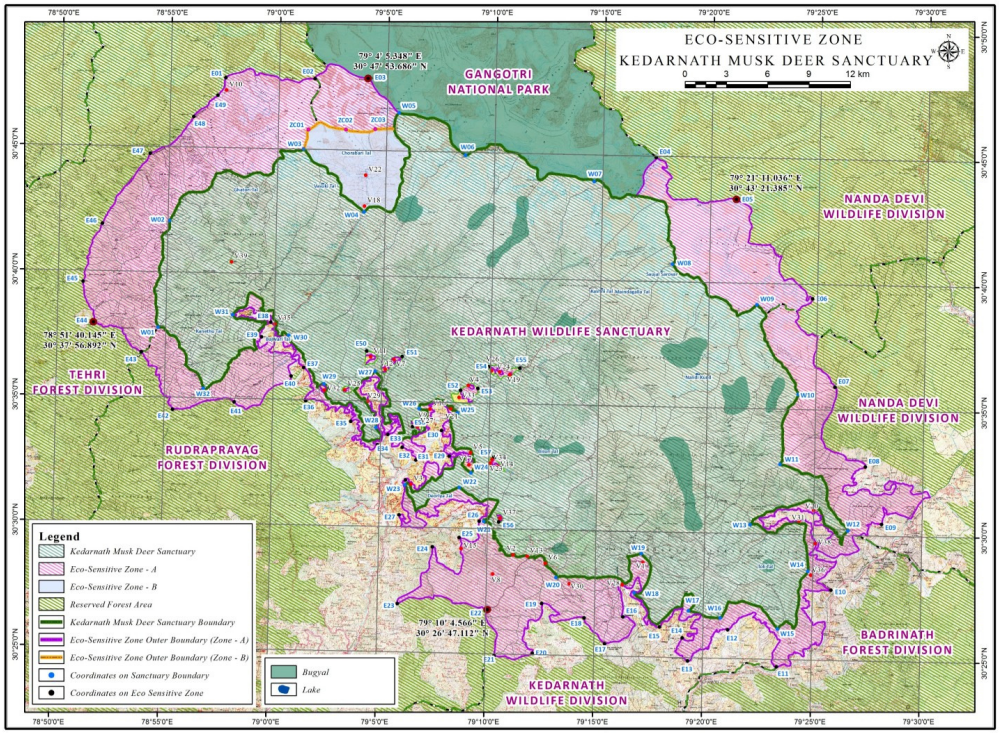

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तरी सीमा – इसकी सीमा भीलांगना नदी से आरंभ होकर, कथलिंग गलेशियर चौकी के निकट कथलिंग गलेशियर चौकी से होते हुए जाती है, इसके बाद केदारनाथ शिखर के साथ, इसके बाद मल्लया शिखर के साथ, इसके बाद सूमेरू शिखर के साथ, इसके बाद मदनी शिखर के साथ, इसके बाद बद्रीनाथ शिखर और चौम्बा के बीच, इसके बाद सतोपंत झील के साथ, इसके बाद खिलौरी गलेशियर के साथ विष्णुगढ़ रिज तक जाती है।

पूर्वी सीमा- खिलौरी गलेशियर से आरंभ होकर, कल्पगंगा नदी से होते हुए, उरगम चाक के निकट, इसके बाद कल्पगंगा नदी के साथ, इसके बाद जखोला ग्राम के साथ, इसके बाद मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम के साथ, इसके बाद बिराही के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 तक जाती है।

दक्षिणी सीमा - बिराही के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 से आरंभ होकर, इसके बाद माइकोट-बेमरू मोटर सड़क के निकट साइजी लंगा के साथ, इसके बाद गोपेश्वर-घीनगरन मोटर सड़क के निकट से होते हुए, फिर रूद्रनाथ ट्रैक मार्ग के गंगोल ग्राम के निकट से होते हुए, इसके बाद गोपेश्वर- मंडल मोटर सड़क के निकट और दवलधार ग्राम के ऊपर से होते हुए, इसके बाद अमृतगंगा नदी के निकट से होते हुए, इसके बाद बमीयानाधर, तलधर और कूजनी ग्राम के निकट से होते हुए, इसके बाद नीगोलदी के निकट से होते हुए, इसके बाद गुलाम नाला के ऊपर से होते हुए, इसके बाद रक्सिधर के साथ, इसके बाद रक्सिधर के फूट के साथ, इसके बाद नंगपुरा रीज के उत्तर के साथ होते हुए, इसके बाद कक्दगद सहायक नदी के निकट घेर नाला के उत्तरी छोर के साथ, इसके बाद कक्दगद से होते हुए, सिंगदगद से दक्षिण और उखिमथ-चौपटा मोटर सड़क के साथ होते हुए जाती है, इसके बाद चन्नीधर के निकट से होते हुए, इसके बाद कयासगढ़ के साथ, इसके बाद मध्यमहेश्वर नदी के साथ, इसके बाद मधुगंगा नदी और मंदाकिनी नदी के संगम के उत्तर से होते हुए, इसके बाद जग्गी-बगवनधर के साथ, इसके बाद कलीगंगा नदी के निकट से होते हुए, इसके बाद मंदाकिनी नदी के निकट से होते हुए, इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग सं.109 के निकट से होते हुए, इसके बाद बसुकीगंगा के दक्षिण से होते हुए, इसके बाद सोनप्रयाग- त्रियूगीनारायण मोटर सड़क के साथ, इसके बाद शेरसी नाला के साथ, इसके बाद बलरीगढ़ के मुहाने के निकट लास्टरगढ़ तक जाती है।

पश्चिमी सीमा- लास्टरगढ़ से आरंभ होकर, इसके बाद भीलांगना नदी और कालखंद नदी के संगम से होते हुए, इसके बाद डोकरीगढ़ के साथ भीलांगना नदी तक जाती है।

केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विभिन्न बिंदुओं के जीपीएस निर्देशांक

बिंदु	देशांतर	अक्षांश	विवरण
ई01	78° 57' 31.972" पू	30° 47' 48.926" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई02	79° 1' 38.469" पू	30° 47' 50.906" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई03	79° 4' 5.348" पू	30° 47' 53.686" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई04	79° 17' 26.661" पू	30° 44' 58.107" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई05	79° 21' 11.036" पू	30° 43' 21.385" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई06	79° 24' 46.140" पू	30° 39' 26.887" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई07	79° 25' 52.709" पू	30° 35' 55.734" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई08	79° 27' 20.301" पू	30° 32' 46.007" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई09	79° 28' 8.153" पू	30° 30' 28.975" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई10	79° 25' 51.461" पू	30° 27' 49.296" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई11	79° 23' 24.802" पू	30° 24' 43.733" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई12	79° 21' 8.954" पू	30° 26' 9.823" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई13	79° 19' 19.749" पू	30° 24' 53.345" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई14	79° 19' 3.988" पू	30° 25' 48.406" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई15	79° 18' 1.049" पू	30° 26' 13.574" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई16	79° 16' 19.066" पू	30° 26' 36.330" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई17	79° 15' 29.996" पू	30° 25' 31.126" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई18	79° 14' 32.252" पू	30° 26' 31.736" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई19	79° 12' 34.346" पू	30° 27' 4.252" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई20	79° 12' 11.102" पू	30° 25' 5.074" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई21	79° 10' 25.947" पू	30° 24' 57.536" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क

ई22	79° 10' 4.566" पू	30° 26' 47.112" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई23	79° 5' 56.140" पू	30° 26' 57.275" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई24	79° 7' 29.341" पू	30° 29' 15.047" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई25	79° 8' 42.662" पू	30° 29' 38.497" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई26	79° 9' 37.496" पू	30° 30' 18.376" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई27	79° 5' 55.821" पू	30° 30' 30.295" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई28	79° 6' 11.339" पू	30° 31' 53.933" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई29	79° 8' 10.798" पू	30° 32' 53.015" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई30	79° 7' 48.851" पू	30° 33' 53.993" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई31	79° 6' 38.695" पू	30° 32' 42.124" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई32	79° 6' 0.919" पू	30° 33' 12.019" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई33	79° 5' 20.316" पू	30° 33' 42.000" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई34	79° 4' 52.187" पू	30° 33' 16.950" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई35	79° 3' 36.752" पू	30° 34' 11.639" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई36	79° 1' 31.431" पू	30° 34' 58.838" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई37	79° 1' 23.892" पू	30° 36' 17.903" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई38	78° 59' 50.008" पू	30° 38' 5.150" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई39	78° 59' 25.584" पू	30° 37' 29.706" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई40	79° 0' 49.671" पू	30° 35' 57.558" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई41	78° 58' 13.529" पू	30° 34' 52.051" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई42	78° 55' 24.238" पू	30° 34' 31.748" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई43	78° 53' 54.371" पू	30° 36' 48.053" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई44	78° 51' 40.145" पू	30° 37' 56.892" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई45	78° 51' 9.212" पू	30° 39' 33.803" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई46	78° 51' 59.234" पू	30° 41' 53.878" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई47	78° 54' 6.880" पू	30° 44' 43.344" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई48	78° 56' 5.057" पू	30° 46' 14.087" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई49	78° 57' 10.841" पू	30° 47' 6.198" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई50	79° 4' 16.639" पू	30° 37' 1.169" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई51	79° 5' 55.516" पू	30° 36' 49.488" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई52	79° 8' 38.539" पू	30° 35' 31.474" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई53	79° 9' 26.401" पू	30° 35' 36.637" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई54	79° 9' 55.174" पू	30° 36' 29.462" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई55	79° 11' 21.408" पू	30° 36' 27.381" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई56	79° 10' 31.256" पू	30° 30' 18.023" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई57	79° 10' 14.398" पू	30° 32' 52.515" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
ई58	79° 6' 28.162" पू	30° 34' 1.950" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - क
जेडसी01	79° 1' 23.093" पू	30° 45' 48.339" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - ख
जेडसी 02	79° 3' 6.747" पू	30° 45' 50.221" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - ख
जेडसी 03	79° 4' 28.259" पू	30° 45' 52.815" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन - ख

डब्लू01	78° 54' 39.122" पू	30° 37' 47.366" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू02	78° 55' 3.943" पू	30° 42' 3.593" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू03	79° 1' 11.471" पू	30° 45' 1.559" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू04	79° 4' 1.609" पू	30° 42' 33.778" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू05	79° 5' 33.039" पू	30° 46' 32.865" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू06	79° 8' 39.008" पू	30° 44' 55.018" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू07	79° 14' 36.211" पू	30° 43' 57.587" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू08	79° 18' 17.219" पू	30° 40' 43.705" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू09	79° 22' 12.594" पू	30° 39' 9.810" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू10	79° 24' 11.520" पू	30° 35' 37.162" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू11	79° 23' 24.526" पू	30° 32' 49.002" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू12	79° 26' 35.696" पू	30° 30' 12.100" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू13	79° 22' 5.261" पू	30° 30' 22.892" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू14	79° 24' 46.832" पू	30° 28' 33.917" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू15	79° 23' 26.207" पू	30° 26' 13.945" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू16	79° 20' 47.774" पू	30° 26' 37.802" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू17	79° 19' 19.718" पू	30° 26' 53.434" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू18	79° 16' 48.889" पू	30° 27' 34.355" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू19	79° 17' 6.925" पू	30° 29' 9.035" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू20	79° 13' 12.050" पू	30° 28' 7.378" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू21	79° 9' 49.460" पू	30° 30' 18.367" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू22	79° 8' 40.704" पू	30° 31' 38.359" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू23	79° 6' 10.627" पू	30° 31' 42.638" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू24	79° 9' 11.786" पू	30° 32' 14.302" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू25	79° 8' 30.959" पू	30° 34' 36.955" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू26	79° 6' 44.755" पू	30° 34' 45.343" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू27	79° 4' 41.293" पू	30° 36' 13.010" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू28	79° 4' 47.179" पू	30° 33' 58.050" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू29	79° 2' 20.936" पू	30° 35' 40.175" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू30	79° 0' 40.723" पू	30° 37' 34.435" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू31	78° 58' 4.562" पू	30° 38' 21.300" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य
डब्लू32	78° 56' 47.918" पू	30° 35' 22.970" उ	केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य

केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के चार मुख्य उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम निर्देशांक

बिंदु	देशांतर	अक्षांश	विवरण
ई22	79° 10' 4.566" पू	30° 26' 47.112" उ	3076
ई03	79° 4' 5.348" पू	30° 47' 53.686" उ	6940
ई05	79° 21' 11.036" पू	30° 43' 21.385" उ	5815
ई44	78° 51' 40.145" पू	30° 37' 56.892" उ	कंजूल गढ़ के साथ कालखंद गड़ का जंक्शन

उपाबंध – II

ग्रामों की सूची-

बिंदु	ग्राम	देशांतर	अक्षांश	विवरण
वी1	अनसुया देवी	79° 17' 11.499" पू	30° 28' 47.544" उ	जोन-क
वी2	बनीयाकुंद चट्टी	79° 11' 12.733" पू	30° 28' 59.980" उ	जोन-क
वी3	बरसाल	79° 6' 26.527" पू	30° 31' 43.913" उ	जोन-क
वी4	बयंसार	79° 8' 59.887" पू	30° 35' 43.421" उ	सिविल भूमि
वी5	भेकालटा	79° 9' 9.882" पू	30° 33' 2.213" उ	जोन-क
वी6	भुल्काना चट्टी (खंडहर में)	79° 12' 42.148" पू	30° 28' 40.784" उ	जोन-क
वी7	बुनी	79° 5' 33.273" पू	30° 36' 41.482" उ	सिविल भूमि
वी8	चारीअकहोर	79° 10' 17.467" पू	30° 28' 12.827" उ	जोन-क
वी9	चाउकी	79° 6' 35.101" पू	30° 34' 16.251" उ	सिविल भूमि
वी10	चाउकी	78° 57' 34.369" पू	30° 47' 18.781" उ	जोन-क
वी11	चायमसी	79° 4' 28.515" पू	30° 36' 47.503" उ	सिविल भूमि
वी12	चीलोंद	79° 5' 8.922" पू	30° 36' 17.931" उ	सिविल भूमि
वी13	चोपता चट्टी	79° 11' 52.032" पू	30° 28' 56.725" उ	जोन-क
वी14	धरसु	79° 10' 25.278" पू	30° 32' 31.556" उ	सिविल भूमि
वी15	दील्मी	79° 8' 48.558" पू	30° 29' 12.131" उ	जोन-क
वी16	दोनी	79° 7' 15.404" पू	30° 34' 45.240" उ	जोन-क
वी17	गगदू	79° 9' 5.877" पू	30° 32' 33.636" उ	जोन-क
वी18	गरयर चट्टी	79° 4' 2.755" पू	30° 42' 47.803" उ	जोन-ख
वी19	गअदर	79° 10' 54.182" पू	30° 36' 11.215" उ	सिविल भूमि
वी20	कलगोट	79° 24' 59.975" पू	30° 31' 0.472" उ	जोन-क
वी21	कंदरा	79° 8' 12.440" पू	30° 34' 46.698" उ	जोन-क
वी22	केदारनाथ	79° 4' 4.414" पू	30° 44' 1.980" उ	जोन-ख
वी23	कोट	79° 10' 9.522" पू	30° 32' 47.216" उ	सिविल भूमि
वी24	कोटमा	79° 10' 3.646" पू	30° 36' 19.766" उ	सिविल भूमि
वी25	लोल्छारा	79° 3' 18.313" पू	30° 35' 27.241" उ	सिविल भूमि
वी26	मकोदा	79° 10' 25.492" पू	30° 36' 17.677" उ	सिविल भूमि
वी27	मल्लाटोली	79° 6' 41.912" पू	30° 34' 2.452" उ	सिविल भूमि
वी28	मंडल	79° 16' 15.792" पू	30° 27' 53.424" उ	जोन-क
वी29	मंझेरा	79° 4' 23.545" पू	30° 35' 1.031" उ	जोन-क
वी30	पंगरवसा चट्टी (खंडहर में)	79° 13' 49.082" पू	30° 27' 53.116" उ	जोन-क
वी31	पंगटोली	79° 24' 20.276" पू	30° 30' 33.833" उ	जोन-क
वी32	रइल	79° 2' 21.813" पू	30° 35' 24.868" उ	सिविल भूमि
वी33	रांसी	79° 8' 35.142" पू	30° 35' 14.253" उ	सिविल भूमि
वी34	सोनाली	79° 10' 5.209" पू	30° 32' 37.998" उ	सिविल भूमि
वी35	सोंपरयाग	79° 0' 1.752" पू	30° 38' 1.209" उ	जोन-क
वी36	सुरींदी	79° 24' 55.346" पू	30° 28' 24.416" उ	जोन-क
वी37	सयाल्नी	79° 10' 34.921" पू	30° 30' 26.566" उ	सिविल भूमि
वी38	सयअन	79° 25' 5.787" पू	30° 29' 40.262" उ	जोन-क
वी39	तोसही	78° 57' 58.288" पू	30° 40' 27.721" उ	सिविल भूमि

उपाबंध-III

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the13th December, 2017

S.O. 3880(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the with the prime objective of long term protection and conservation of Musk Deer and other rare, endangered and valuable biological diversity, a total of 975.2 sq. Km of forest area spread over Chamoli and Rudraprayag Districts of the then Uttar Pradesh (now Uttarakhand) was declared as Kedarnath Musk Deer Sanctuary vide Government Order No. 14/14-3 dated January 21st, 1972;

AND WHEREAS, the forests of Kedarnath Musk Deer Sanctuary comprises of, 9 Sub-tropical Pine Forest, 12 Himalayan Moist Temperate Forest, 14 Sub Alpine Forest, 15 Moist Alpine Scrub forest types according to the Champion and Seth Forest Types of India and it supports rich floral and faunal diversity, is a contributory catchment of important rivers like Alaknanda, Mandakini, Kali, Madhuganga, Biera, Balasuti and Maina rivers, the upper Ganges river valley, and thus plays an important role in recharging the water table of region;

AND WHEREAS, putting restriction on such human activities over the area that is in immediate vicinity of the Sanctuary is necessary for better protection and conservation of the biological wealth of the Sanctuary;

AND WHEREAS, the Kedarnath Musk Deer Sanctuary being the site of Temples of Kedarnath, Madmaheshwar, Tunganath, Rudranath, Kalimath, Anusuya Devi, and regional deities, a large number of religious devotees visit the Sanctuary, and create a spike of antrhopogenic activities that impacts the normal ecological dynamics of the Sanctuary, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Kedarnath Musk Deer Sanctuary from ecological and environmental point of view;

NOW THEREFORE, by reason of ecological, environmental, faunal, floral, geographical or zoological association or importance, for the purpose of protecting, propagating or developing wildlife therein or its environment, the Central Government, in exercise of the powers conferred under by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) and as per sub-rule (3) rule 5 of Environment (Protection) Rules, 1986, hereby notifies the area, the situation and limits of which are specified in the schedule to this notification as the **"Eco Sensitive Zone"** of the **Kedarnath Musk Deer Sanctuary** (hereinafter referred to as the Eco Sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of the Eco-Sensitive Zone

(a) Kedarnath Musk Deer Sanctuary spreads between latitudes 30°25' N to 30°45 N and longitudes 78°54' E to 79°27' E. Administratively, it is located in the Rudraprayag and Chamoli districts of Uttarakhand. It is bound by Gangotri National Park in the North, Tehri Forest Division in the West, Rudraprayag Forest Division in the South and Nanda Devi National Park in the East.

(b) The extent of Eco-sensitive Zone varying from zero (northern side adjourns to Gangotri National Park) to 11.60 kilo meters. The Eco-Sensitive Zone covers a peripheral area of 451.15 square kilo meters.

(c) The map, boundaries description and geo co-ordinates of the Eco Sensitive Zone are appended as **Annexure-I**.

(d) List of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended at **Annexure-II**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

i. Environment,

ii. Forest and Wildlife,

iii. Agriculture,

iv. Revenue,

v. Urban Development,

vi. Tourism,

vii. Rural Development,

viii. Irrigation and Flood Control,

ix. Municipal

x. Panchayati Raj

xi. Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**

The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse:

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies: The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism/Eco-tourism:

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural Heritage: All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites: Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution: Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution: Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents: Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes: Disposal and Management of solid wastes shall be as under:—

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste: Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management: The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management: The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste: The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic: The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution: Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units: (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes: The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

18. The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is Prohibited.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
		B. Regulated Activities
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated as per applicable laws.
13	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.

16	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law
19	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws
20	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
22	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
24	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws
26	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
27	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
28	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
29	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
30	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
31	Organic farming	Shall be actively promoted.
32	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
33	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
36	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
37	Skill Development	Shall be actively promoted.
38	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
39	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.-

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(a) District Magistrate of the concerned district (Rudraprayag or Chamoli, as the case may be) – Chairman.

(b) A representative nominated by the Forest Department of Uttarakhand – Member,

(c) A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the Uttarakhand State – Member.

(d) Regional Officer, Uttarakhand State Pollution Control Board – Member.

(e) A expert in Biodiversity - Member

(f) One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Uttarakhand – Member.

(g) Range officer of Wild Life Sanctuary - Member

(h) Wildlife warden of Wild Life Sanctuary - Member

(i) Deputy Conservator of Forests (Officer-in-charge of the Kedarnath Wildlife Sanctuary) –Member Secretary.

6. Terms of Reference

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro-forma given at **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/06/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE - I

Map and boundary Global Positioning System points of Kedarnath Musk Deer Sanctuary of Eco-sensitive zone

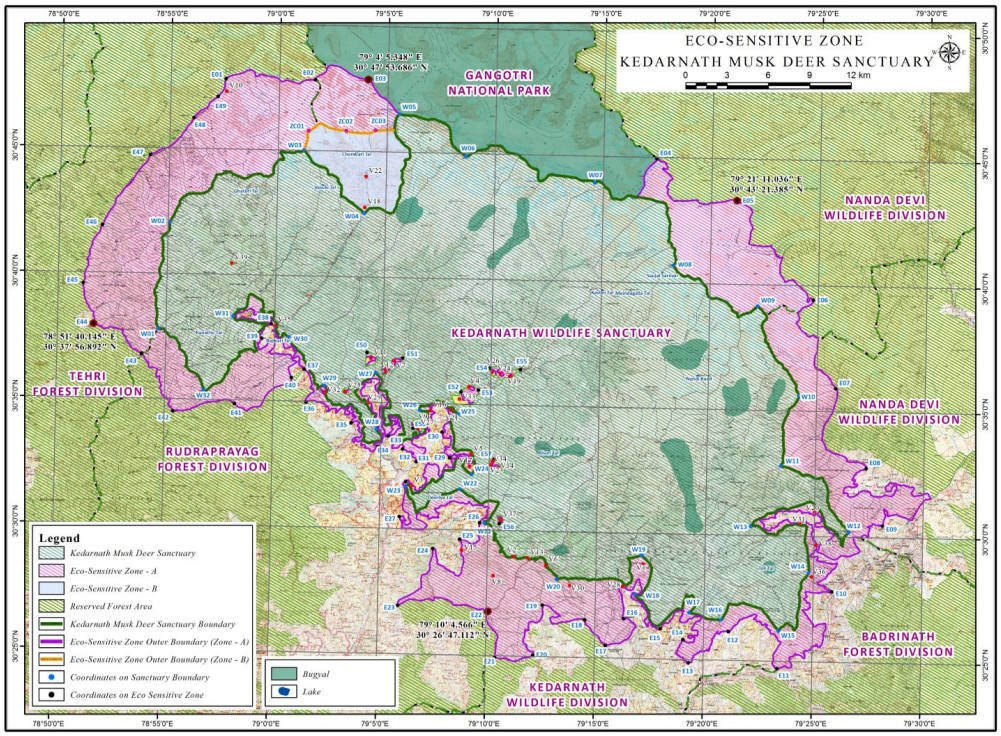

Boundary description of Eco-sensitive Zone

Northern boundary- Starting from River Bhilangana, passing through Kathling glacier chawki near Kathling glacier chawki, thence along Kedarnath peak, thence along Mallya peak, thence along Sumeru peak, thence along Madni peak, thence between Badrinath peak and Chaumba, thence along Satopant lake, thence along Khilori glacier till Vishnugad ridge.

Eastern boundary- Starting from Khilori glacier, passing through River Kalpaganga, near Urgam chak, thence along River Kalpaganga, thence along Jakhola village, thence along the confluence of River Mandakini and River Alakananda, thence along the National Highway No. 58 till near Birahi.

Southern boundary- Starting from the National Highway No. 58 near Birahi, thence along Saiji Langa near Maikot- Bemru motor road, thence passing near Gopeshwar- Ghingaran motor road, thence passing near Gangol village at Rudranath trek route, thence passing near Gopeshwar- Mandal motor road and above Dewaldhar village, thence passing near River Amrutganga, thence passing near Bamiyanadhar, Taldhar and

Kujani village, thence passing near Nigoladi, thence passing above Gulam nallah, thence along Raksidhar, thence along the foot of Raksidhar, thence passing along the north of Nagpura ridge, thence along the north ofGher nallah near tributary of Kakdagad, thence passing through Kakdagad, thence passing through the south of Singadgad andalong Ukhimath- Chopta motor road, thence passing near Channidhar, thence along Kyasgad, thence along River Madhyamaheshwar, thence passing through the north of confluence of River Madhuganga and River Mandakini, thence along Jaggi Bagvaandhar, thence passing near River Kaliganga, thence passing near River Mandakini, thence passing near the National Highway No. 109, thence passing through the south of Basukiganga, thence along Sonprayag- Triyuginarayan motor road, thence along Shersi nallah, thence passing near the mouth of Balarigad,till Lastargad.

Western boundary- Starting from Lastargad, thence passing through the confluence of River Bhilangana and River Kaalkhand, thence along Dokarigad till River Bhilangana.

GPS co-ordinates of various points of the Eco-sensitive Zone of Kedarnath Musk Deer Sanctuary

Point	Longitude	Latitude	Description
E01	78° 57' 31.972" E	30° 47' 48.926" N	Eco Sensitive Zone - A
E02	79° 1' 38.469" E	30° 47' 50.906" N	Eco Sensitive Zone - A
E03	79° 4' 5.348" E	30° 47' 53.686" N	Eco Sensitive Zone - A
E04	79° 17' 26.661" E	30° 44' 58.107" N	Eco Sensitive Zone - A
E05	79° 21' 11.036" E	30° 43' 21.385" N	Eco Sensitive Zone - A
E06	79° 24' 46.140" E	30° 39' 26.887" N	Eco Sensitive Zone - A
E07	79° 25' 52.709" E	30° 35' 55.734" N	Eco Sensitive Zone - A
E08	79° 27' 20.301" E	30° 32' 46.007" N	Eco Sensitive Zone - A
E09	79° 28' 8.153" E	30° 30' 28.975" N	Eco Sensitive Zone - A
E10	79° 25' 51.461" E	30° 27' 49.296" N	Eco Sensitive Zone - A
E11	79° 23' 24.802" E	30° 24' 43.733" N	Eco Sensitive Zone - A
E12	79° 21' 8.954" E	30° 26' 9.823" N	Eco Sensitive Zone - A
E13	79° 19' 19.749" E	30° 24' 53.345" N	Eco Sensitive Zone - A
E14	79° 19' 3.988" E	30° 25' 48.406" N	Eco Sensitive Zone - A
E15	79° 18' 1.049" E	30° 26' 13.574" N	Eco Sensitive Zone - A
E16	79° 16' 19.066" E	30° 26' 36.330" N	Eco Sensitive Zone - A
E17	79° 15' 29.996" E	30° 25' 31.126" N	Eco Sensitive Zone - A
E18	79° 14' 32.252" E	30° 26' 31.736" N	Eco Sensitive Zone - A
E19	79° 12' 34.346" E	30° 27' 4.252" N	Eco Sensitive Zone - A
E20	79° 12' 11.102" E	30° 25' 5.074" N	Eco Sensitive Zone - A
E21	79° 10' 25.947" E	30° 24' 57.536" N	Eco Sensitive Zone - A
E22	79° 10' 4.566" E	30° 26' 47.112" N	Eco Sensitive Zone - A
E23	79° 5' 56.140" E	30° 26' 57.275" N	Eco Sensitive Zone - A
E24	79° 7' 29.341" E	30° 29' 15.047" N	Eco Sensitive Zone - A
E25	79° 8' 42.662" E	30° 29' 38.497" N	Eco Sensitive Zone - A
E26	79° 9' 37.496" E	30° 30' 18.376" N	Eco Sensitive Zone - A
E27	79° 5' 55.821" E	30° 30' 30.295" N	Eco Sensitive Zone - A
E28	79° 6' 11.339" E	30° 31' 53.933" N	Eco Sensitive Zone - A
E29	79° 8' 10.798" E	30° 32' 53.015" N	Eco Sensitive Zone - A
E30	79° 7' 48.851" E	30° 33' 53.993" N	Eco Sensitive Zone - A
E31	79° 6' 38.695" E	30° 32' 42.124" N	Eco Sensitive Zone - A
E32	79° 6' 0.919" E	30° 33' 12.019" N	Eco Sensitive Zone - A

E33	79° 5' 20.316" E	30° 33' 42.000" N	Eco Sensitive Zone - A
E34	79° 4' 52.187" E	30° 33' 16.950" N	Eco Sensitive Zone - A
E35	79° 3' 36.752" E	30° 34' 11.639" N	Eco Sensitive Zone - A
E36	79° 1' 31.431" E	30° 34' 58.838" N	Eco Sensitive Zone - A
E37	79° 1' 23.892" E	30° 36' 17.903" N	Eco Sensitive Zone - A
E38	78° 59' 50.008" E	30° 38' 5.150" N	Eco Sensitive Zone - A
E39	78° 59' 25.584" E	30° 37' 29.706" N	Eco Sensitive Zone - A
E40	79° 0' 49.671" E	30° 35' 57.558" N	Eco Sensitive Zone - A
E41	78° 58' 13.529" E	30° 34' 52.051" N	Eco Sensitive Zone - A
E42	78° 55' 24.238" E	30° 34' 31.748" N	Eco Sensitive Zone - A
E43	78° 53' 54.371" E	30° 36' 48.053" N	Eco Sensitive Zone - A
E44	78° 51' 40.145" E	30° 37' 56.892" N	Eco Sensitive Zone - A
E45	78° 51' 9.212" E	30° 39' 33.803" N	Eco Sensitive Zone - A
E46	78° 51' 59.234" E	30° 41' 53.878" N	Eco Sensitive Zone - A
E47	78° 54' 6.880" E	30° 44' 43.344" N	Eco Sensitive Zone - A
E48	78° 56' 5.057" E	30° 46' 14.087" N	Eco Sensitive Zone - A
E49	78° 57' 10.841" E	30° 47' 6.198" N	Eco Sensitive Zone - A
E50	79° 4' 16.639" E	30° 37' 1.169" N	Eco Sensitive Zone - A
E51	79° 5' 55.516" E	30° 36' 49.488" N	Eco Sensitive Zone - A
E52	79° 8' 38.539" E	30° 35' 31.474" N	Eco Sensitive Zone - A
E53	79° 9' 26.401" E	30° 35' 36.637" N	Eco Sensitive Zone - A
E54	79° 9' 55.174" E	30° 36' 29.462" N	Eco Sensitive Zone - A
E55	79° 11' 21.408" E	30° 36' 27.381" N	Eco Sensitive Zone - A
E56	79° 10' 31.256" E	30° 30' 18.023" N	Eco Sensitive Zone - A
E57	79° 10' 14.398" E	30° 32' 52.515" N	Eco Sensitive Zone - A
E58	79° 6' 28.162" E	30° 34' 1.950" N	Eco Sensitive Zone - A
ZC01	79° 1' 23.093" E	30° 45' 48.339" N	Eco Sensitive Zone - B
ZC02	79° 3' 6.747" E	30° 45' 50.221" N	Eco Sensitive Zone - B
ZC03	79° 4' 28.259" E	30° 45' 52.815" N	Eco Sensitive Zone - B
W01	78° 54' 39.122" E	30° 37' 47.366" N	Kedarnath WS
W02	78° 55' 3.943" E	30° 42' 3.593" N	Kedarnath WS
W03	79° 1' 11.471" E	30° 45' 1.559" N	Kedarnath WS
W04	79° 4' 1.609" E	30° 42' 33.778" N	Kedarnath WS
W05	79° 5' 33.039" E	30° 46' 32.865" N	Kedarnath WS
W06	79° 8' 39.008" E	30° 44' 55.018" N	Kedarnath WS
W07	79° 14' 36.211" E	30° 43' 57.587" N	Kedarnath WS
W08	79° 18' 17.219" E	30° 40' 43.705" N	Kedarnath WS
W09	79° 22' 12.594" E	30° 39' 9.810" N	Kedarnath WS
W10	79° 24' 11.520" E	30° 35' 37.162" N	Kedarnath WS
W11	79° 23' 24.526" E	30° 32' 49.002" N	Kedarnath WS
W12	79° 26' 35.696" E	30° 30' 12.100" N	Kedarnath WS
W13	79° 22' 5.261" E	30° 30' 22.892" N	Kedarnath WS
W14	79° 24' 46.832" E	30° 28' 33.917" N	Kedarnath WS
W15	79° 23' 26.207" E	30° 26' 13.945" N	Kedarnath WS
W16	79° 20' 47.774" E	30° 26' 37.802" N	Kedarnath WS

W17	79° 19' 19.718" E	30° 26' 53.434" N	Kedarnath WS
W18	79° 16' 48.889" E	30° 27' 34.355" N	Kedarnath WS
W19	79° 17' 6.925" E	30° 29' 9.035" N	Kedarnath WS
W20	79° 13' 12.050" E	30° 28' 7.378" N	Kedarnath WS
W21	79° 9' 49.460" E	30° 30' 18.367" N	Kedarnath WS
W22	79° 8' 40.704" E	30° 31' 38.359" N	Kedarnath WS
W23	79° 6' 10.627" E	30° 31' 42.638" N	Kedarnath WS
W24	79° 9' 11.786" E	30° 32' 14.302" N	Kedarnath WS
W25	79° 8' 30.959" E	30° 34' 36.955" N	Kedarnath WS
W26	79° 6' 44.755" E	30° 34' 45.343" N	Kedarnath WS
W27	79° 4' 41.293" E	30° 36' 13.010" N	Kedarnath WS
W28	79° 4' 47.179" E	30° 33' 58.050" N	Kedarnath WS
W29	79° 2' 20.936" E	30° 35' 40.175" N	Kedarnath WS
W30	79° 0' 40.723" E	30° 37' 34.435" N	Kedarnath WS
W31	78° 58' 4.562" E	30° 38' 21.300" N	Kedarnath WS
W32	78° 56' 47.918" E	30° 35' 22.970" N	Kedarnath WS

Four prominent North, South, East, West coordinates on the Eco-sensitive Zone Boundary of Kedarnath Musk Deer Sanctuary

Point	Longitude	Latitude	Description
E22	79° 10' 4.566" E	30° 26' 47.112" N	3076
E03	79° 4' 5.348" E	30° 47' 53.686" N	6940
E05	79° 21' 11.036" E	30° 43' 21.385" N	5815
E44	78° 51' 40.145" E	30° 37' 56.892" N	Junction of Kalakhand Gad with Kanjul Gad

ANNEXURE – II

List of Villages-

Point	Villages	Longitude	Latitude	Description
V1	Ansuya Devi	79° 17' 11.499" E	30° 28' 47.544" N	Zone-A
V2	Baniyakund Chatti	79° 11' 12.733" E	30° 28' 59.980" N	Zone-A
V3	Barsal	79° 6' 26.527" E	30° 31' 43.913" N	Zone-A
V4	Baunsar	79° 8' 59.887" E	30° 35' 43.421" N	Civil Land
V5	Bhekalta	79° 9' 9.882" E	30° 33' 2.213" N	Zone-A
V6	Bhulkana Chatti (in ruins)	79° 12' 42.148" E	30° 28' 40.784" N	Zone-A
V7	Buni	79° 5' 33.273" E	30° 36' 41.482" N	Civil Land
V8	Chariakhor	79° 10' 17.467" E	30° 28' 12.827" N	Zone-A
V9	Chauki	79° 6' 35.101" E	30° 34' 16.251" N	Civil Land
V10	Chauki	78° 57' 34.369" E	30° 47' 18.781" N	Zone-A
V11	Chaumasi	79° 4' 28.515" E	30° 36' 47.503" N	Civil Land
V12	Chilond	79° 5' 8.922" E	30° 36' 17.931" N	Civil Land
V13	Chopta Chatti	79° 11' 52.032" E	30° 28' 56.725" N	Zone-A
V14	Dharsu	79° 10' 25.278" E	30° 32' 31.556" N	Civil Land
V15	Dilmi	79° 8' 48.558" E	30° 29' 12.131" N	Zone-A
V16	Doni	79° 7' 15.404" E	30° 34' 45.240" N	Zone-A
V17	Gagdu	79° 9' 5.877" E	30° 32' 33.636" N	Zone-A

V18	Garur Chatti	79° 4' 2.755" E	30° 42' 47.803" N	Zone-B
V19	Gaundar	79° 10' 54.182" E	30° 36' 11.215" N	Civil Land
V20	Kalgot	79° 24' 59.975" E	30° 31' 0.472" N	Zone-A
V21	Kandara	79° 8' 12.440" E	30° 34' 46.698" N	Zone-A
V22	Kedarnath	79° 4' 4.414" E	30° 44' 1.980" N	Zone-B
V23	Kot	79° 10' 9.522" E	30° 32' 47.216" N	Civil Land
V24	Kotma	79° 10' 3.646" E	30° 36' 19.766" N	Civil Land
V25	Lolchhara	79° 3' 18.313" E	30° 35' 27.241" N	Civil Land
V26	Makoda	79° 10' 25.492" E	30° 36' 17.677" N	Civil Land
V27	Mallatoli	79° 6' 41.912" E	30° 34' 2.452" N	Civil Land
V28	Mandal	79° 16' 15.792" E	30° 27' 53.424" N	Zone-A
V29	Manjhera	79° 4' 23.545" E	30° 35' 1.031" N	Zone-A
V30	Pangarbasa Chatti (in ruins)	79° 13' 49.082" E	30° 27' 53.116" N	Zone-A
V31	Pangtoli	79° 24' 20.276" E	30° 30' 33.833" N	Zone-A
V32	Rail	79° 2' 21.813" E	30° 35' 24.868" N	Civil Land
V33	Ransi	79° 8' 35.142" E	30° 35' 14.253" N	Civil Land
V34	Sonali	79° 10' 5.209" E	30° 32' 37.998" N	Civil Land
V35	Sonprayag	79° 0' 1.752" E	30° 38' 1.209" N	Zone-A
V36	Surindi	79° 24' 55.346" E	30° 28' 24.416" N	Zone-A
V37	Syalni	79° 10' 34.921" E	30° 30' 26.566" N	Civil Land
V38	Syun	79° 25' 5.787" E	30° 29' 40.262" N	Zone-A
V39	Toshi	78° 57' 58.288" E	30° 40' 27.721" N	Civil Land

Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.12.15 18:58:35 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.